EVBAS-DPRO0OMW/30/2025-DPRO-BAS

कार्यालय ज्ञाप

आप भली प्रकार अवगत हैं कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के फेज–2 में ग्राम पंचायतों में ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन को लक्षित किया गया है और कचरा प्रबन्धन के माध्यम से राजस्व सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्रों(आर.आर.सी.) को निर्माण कराया गया है। निर्मित आर.आर.सी. के सफल संचालन हेतु ग्राम पंचायतों में राजस्व ग्रामों की संख्या के अनुरूप कचरा वाहनों को भी खरीदा गया है किन्तु नियमित रूप से डोर–टू–डोर कचरा कलेक्शन न होने से ग्राम पंचायतों में आर.आर.सी. पर एकत्र कचरे की उचित प्रकार छंटायी न होने से प्लास्टिक कचरे की बिक्री नहीं हो पा रही हैं। जिसके कारण ग्राम पंचायतों में कचरे से आय सृजन के लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है।

ग्राम पंचायतों में नियमित कूड़ा उठान, डोर–टू–डोर कचरा कलेक्शन और क्रियाशील आर.आर.सी. वाले अनुकरणीय तथा सीखने योग्य माडल ग्राम विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के विकास खण्डों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुल 150 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। "स्वच्छता से समृद्धि" के इस अभियान में चयनित ग्राम पंचायतों में निम्निलिखित गतिविधियां अपेक्षित हैं–

1. ग्राम पंचायतों में पूर्व से फैले और डम्प कचरे को साफ करा लिया जाय।
2. कचरा कलेक्शन हेतु सफाई कर्मचारी का ग्रामवार/गलीवार रोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर दिवार लेखन करवां दिया जाय।
3. कचरा वाहनों को मरम्मत करा लिया जाय। कचरा वाहन पर स्पष्ट रूप से स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), ग्राम पंचायत का नाम, सूखा कचरा/ गीला कचरा लिखा हो, ओ.एस.आर. खाते का क्यू.आर. कोड चस्पा किया गया हो और क्रियाशील माईक/लाउडस्पीकर लगा हो।
4. नियमित रूप से डोर–टू–डोर कचरा कलेक्शन सुनिश्चित किया जाय। इस दौरान माईक/लाउडस्पीकर पर जनपद स्तर से दिया गया जिंगल/ संदेश अवश्य प्रसारित किया जाय।
5. एकत्र कचरे को सम्बन्धित आर.आर.सी. पर संग्रह किया जाय और उसकी छंटनी सुनिश्चित करायी जाय।
6. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित सचिव नोडल अधिकारी हैं और अभियान के परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।
7. विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी(पं0) सह नोडल अधिकारी होंगे। साथ ही सभी सेक्टर एडीओ अपने सम्बन्धित सेक्टर की ग्राम पंचायतों के लिए पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे।
8. इस अभियान की मॉनीटरिंग के लिए Whatsapp ग्रुप बनाया गया है जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख करते हुए एक स्थान के अधिकतम 02 फोटो शेयर किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धित से कार्यवाही अपेक्षित है। यदि अधोहस्ताक्षरी के ग्राम भ्रमण में उक्त अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य होता हुआ नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

Digitally signed by
SARTHAK AGRAWAL
Date: 15-12-2025
18:38:12

(सार्थक अग्रवाल)
मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।

पत्रांक 4745/7–पंचायत/स्व0भा0मि0(ग्रा0)/2025–26 दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–

1. समस्त सम्बन्धित को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2. जिला सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) को इस निर्देश के साथ कि दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, बस्ती।
4. जिलाधिकारी महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती।

Scanned with CamScanner